संख्या–वे0आ0–2– 1979 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) संस्थागत वित्त निदेशालय में सहायक निदेशक के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु पोषक संवर्ग में शोध सहायक के साथ–साथ सांख्यिकीय सहायक के पदों को भी सम्मिलित किया जाय।

(2) संस्थागत वित्त निदेशालय में टेलेक्स आपरेटर के विद्यमान 01 रिक्त पद को समाप्त कर उसके स्थान पर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए का पद सृजित किया जाय।

(3) बैंकिग विभाग (संस्थागत वित्त निदेशालय) से सम्बन्धित जिला स्तर का कार्य आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बचत विभाग से कराया जाये।

(4) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, लिपिक श्रेणी आदि सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। संस्थागत वित्त निदेशालय के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(5) संस्थागत वित्त निदेशालय के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतनमान विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं है।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1979 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।